"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 70] रायपुर, बुधवार, दिनांक 24 फरवरी 2016 — फाल्गुन 5, शक 1937

जल संसाधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 फरवरी 2016

अधिसूचना

क्रमांक एफ 01-29/31/स्था./2007. — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा में भर्ती तथा सेवा की शर्तों के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**-(1) ये नियम छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा भर्ती नियम, 2016 कहलाएंगे.
(2) ये नियम राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं**-इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) सेवा के संबंध में **"नियुक्ति प्राधिकारी"** से अभिप्रेत है अनुसूची-एक के कॉलम (7) में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी;
(ख) **"समिति"** से अभिप्रेत है सीधी भर्ती के प्रयोजन के लिये शासन द्वारा अनुमोदित चयन समिति;
(ग) **"परीक्षा"** से अभिप्रेत है नियम 11 के अधीन सेवा में भर्ती के लिये आयोजित प्रतियोगी परीक्षा;
(घ) **"शासन"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ शासन;
(ङ) **"राज्यपाल"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ के राज्यपाल;
(च) **"अन्य पिछड़े वर्ग"** से अभिप्रेत है राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित, अधिसूचना क्र.एफ.-8-5-पच्चीस-4-84, दिनांक 26 दिसम्बर, 1984 द्वारा यथा विनिर्दिष्ट नागरिकों के अन्य पिछड़े वर्ग;
(छ) **"अनुसूची"** से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न अनुसूची;

(ज) **"अनुसूचित जाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति;

(झ) **"अनुसूचित जनजाति"** से अभिप्रेत है भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति;

(ञ) **"सेवा"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ जल संसाधन (अराजपत्रित तकनीकी) सेवा;

(ट) **"राज्य"** से अभिप्रेत है छत्तीसगढ़ राज्य।

3. **विस्तार तथा लागू होना.**— छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 में अंतर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ये नियम सेवा के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. **सेवा का गठन.**— सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति सम्मिलित होंगे, अर्थात्:—

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय, अनूसूची—एक में विनिर्दिष्ट पदों को मूल रूप से या स्थानापन्न हैसियत से धारण कर रहे हों;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किए गये हों; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधों के अनुसार सेवा में भर्ती किए गये हों।

5. **वर्गीकरण, वेतनमान इत्यादि.**— सेवा का वर्गीकरण, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या और उससे संलग्न वेतनमान, अनुसूची—एक में अंतर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार होंगे:

परन्तु शासन, सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या तथा वेतनमान में, समय—समय पर, या तो स्थायी या अस्थायी आधार पर, वृद्धि या कमी कर सकेगा।

6. **भर्ती का तरीका.**— (1) इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जाएगी, अर्थात्:—

(क) प्रतियोगी परीक्षा या चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) सेवा के सदस्यों की पदोन्नति द्वारा;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण/प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो ऐसी सेवाओं में ऐसे पदों को मूल हैसियत में धारण करते हों, जैसा कि इस निमित्त विनिर्दिष्ट किया जाये।

(2) उप—नियम (1) के खण्ड (क), (ख) या खण्ड (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची—एक में यथा विनिर्दिष्ट कर्तव्य पदों की संख्या के, अनुसूची—दो में दर्शाये गये प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी।

(3) इन नियमों के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भर्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरे जाने के लिए अपेक्षित सेवा में किसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, भरे जाने के प्रयोजन के लिये अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा ऐसे प्रत्येक तरीके द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक अवसर पर नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा शासन के परामर्श से अवधारित की जाएगी।

(4) उप–नियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा की अत्यावश्यकताओं को देखते हुए ऐसा करना अपेक्षित हो, तो वह, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती के उन तरीकों को छोड़, जिनको उक्त उप–नियम में विनिर्दिष्ट किया गया है, ऐसे तरीके अपना सकेगा, जिसे वह इस निमित्त जारी किए गये आदेश द्वारा विहित करे।

(5) मेरिट के आधार पर चयन के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए, मापदण्ड शासन द्वारा विहित किये जायेंगे, तथापि नियुक्ति प्राधिकारी के लिये आवश्यक होगा कि वह इस प्रयोजन के लिये एक चयन समिति गठित करे, जो इन मापदण्डों से भिन्न कोई अन्य युक्तिसंगत मापदण्ड शासन की सहमति से अपना सकेगी।

(6) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के प्रावधान तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश (यथा संशोधित) लागू होंगे।

7. **सेवा में नियुक्ति.**– इन नियमों के प्रारंभ होने के पश्चात्, सेवा में समस्त नियुक्तियाँ, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायेंगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति, नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के किसी एक तरीके द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जाएगी, अन्यथा नहीं।

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें.**– सीधी भर्ती/चयन हेतु पात्र होने के लिये, अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होंगी, अर्थात्:–

(एक) **आयु**– (क) वर्ष, जिसमें पद हेतु विज्ञापन प्रकाशित होता है, की जनवरी के प्रथम दिन को, अभ्यर्थी ने अनुसूची–तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी कर ली हो तथा उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु पूरी न की हो।

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) का हो, तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ग) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिये विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, महिला अभ्यर्थियों के लिए उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(घ) उन अभ्यर्थियों के संबंध में भी, जो छत्तीसगढ़ शासन के कर्मचारी हैं अथवा रह चुके हैं, नीचे विनिर्दिष्ट की गई सीमा तथा शर्तों के अध्यधीन रहते हुए उच्चतर आयु सीमा शिथिलनीय होगी:–

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो स्थायी या अस्थायी शासकीय सेवक हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये;

(दो) ऐसा अभ्यर्थी, जो अस्थायी रूप से पद धारण कर रहा हो तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन कर रहा हो, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिए। यह रियायत, आकस्मिकता निधि से वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों, कार्यभारित कर्मचारियों तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति में कार्यरत कर्मचारियों को भी अनुज्ञेय होगी;

(तीन) ऐसा अभ्यर्थी, जो "छंटनी किया गया शासकीय सेवक" हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की कालावधि, भले ही वह कालावधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं का योग हो, कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द ''छंटनी किये गये शासकीय सेवक'' से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो इस राज्य की या किन्हीं भी संघटक इकाइयों की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छः माह की कालावधि तक निरंतर रहा हो और जिसे रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने या शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से

अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व स्थापना में कमी किये जाने के कारण सेवोन्मुक्त किया गया हो।

(ड.) ऐसा अभ्यर्थी, जो भूतपूर्व सैनिक हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई संपूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा, परन्तु इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो।

स्पष्टीकरण– शब्द "भूतपूर्व सैनिक" से द्योतक है, ऐसा व्यक्ति, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग का हो तथा जो भारत सरकार के द्वारा कम से कम 6 माह की कालावधि तक निरंतर नियोजित रहा हो तथा जिसकी किसी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियोजन हेतु अन्यथा आवेदन करने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के परिणामस्वरूप अथवा स्थापना में सामान्य रूप से कमी किये जाने के कारण छंटनी की गई हो अथवा जिसे अधिशेष (सरप्लस) घोषित किया गया हो, अर्थात्:–

(एक) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें समय पूर्व सेवानिवृत्ति रियायतों के अधीन निर्मुक्त कर दिया गया हो;

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दुबारा नामांकित किया गया हो, और जिन्हें–

(क) अल्पकालीन वचनबंध अवधि पूर्ण हो जाने पर;

(ख) नामांकन की शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवोन्मुक्त कर दिया गया हो;

(तीन) मद्रास सिविल यूनिट के भूतपूर्व कार्मिक;

(चार) ऐसे भूतपूर्व सैनिक (सैनिक तथा असैनिक) जिन्हें उनकी संविदा पूरी होने पर सेवोन्मुक्त किया गया हो, (जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी भी सम्मिलित हैं);

(पांच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों पर छः माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के पश्चात् सेवोन्मुक्त किया गया हो;

(छः) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग किया गया हो;

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया हो कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं हैं;

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो।

(च) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अधीन ग्रीनकार्ड धारक अभ्यर्थियों के संबंध में भी, उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(छ) अस्पृश्यता निवारण नियम, 1984 के अधीन अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत पुरस्कृत दम्पत्तियों के सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(ज) शहीद राजीव पांडे सम्मान, गुण्डाधूर सम्मान एवं महाराजा प्रवीरचंद भंजदेव सम्मान प्राप्त अभ्यर्थियों तथा राष्ट्रीय युवा पुरस्कार प्राप्त अभ्यर्थियों के संबंध में भी उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी।

(झ) ऐसे अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य निगम/मण्डल के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु सीमा 38 वर्ष की आयु तक शिथिलनीय होगी।

(ञ) स्वयंसेवी नगर सैनिकों तथा नगर सेना के नॉन कमीशंड अधिकारियों के मामले में, उनके द्वारा पूर्व में इस प्रकार की गई नगर सेना सेवा की कालावधि के लिये, उच्चतर आयु सीमा में, 8 वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए, छूट दी जायेगी, किन्तु किसी भी दशा में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

टीप-- (1) ऐसे अभ्यर्थी, जिन्हें उपरोक्त नियम 8 के खण्ड (घ) के उप--खण्ड (एक) तथा (दो) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अधीन परीक्षा/चयन में प्रवेश दिया गया हो, यदि वे आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात्, या तो परीक्षा/चयन के पूर्व या उसके पश्चात् सेवा से त्यागपत्र दे देते हैं, तो वे नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होंगे। तथापि, यदि आवेदन पत्र भेजने के पश्चात् सेवा या पद से उनकी छंटनी कर दी जाती है, तो वे पात्र बने रहेंगे।

(2) किसी अन्य मामले में, ये आयु सीमायें शिथिल नहीं की जायेंगी। विभागीय अभ्यर्थियों को परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिए नियुक्ति प्राधिकारी की पूर्व अनुमति अभिप्राप्त करनी होगी।

(ट) अभ्यर्थी, जिन्हें उनके संवर्ग (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला/विधवा/तलाकशुदा इत्यादि) के आधार पर अधिकतम आयु सीमा में छूट का लाभ प्राप्त हो रहा है, को अधिकतम आयु सीमा में उपलब्ध अतिरिक्त छूट यथावत मिलती रहेगी, किन्तु उपरोक्त उल्लिखित किसी एक या एक से अधिक संवर्गों के अधीन आयु में छूट प्राप्त करने के उपरांत भी अधिकतम आयु, किसी भी दशा में 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(ठ) उपरोक्त के अतिरिक्त आयु सीमा के संबंध में, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश भी लागू होंगे।

(दो) शैक्षणिक अर्हतायें – अभ्यर्थी के पास सेवा के लिये विहित ऐसी शैक्षणिक अर्हतायें होनी चाहिये, जैसा कि अनुसूची-तीन में दर्शित है।

(तीन) शुल्क– (क) अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थी, जो चिकित्सा मण्डल के समक्ष उपस्थित होने के लिये अपेक्षित किये गये हों, को स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व चिकित्सा मण्डल के अध्यक्ष को, शासन द्वारा यथा विहित शुल्क का भुगतान करना होगा।

9. **निरर्हता.**– (1) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने के किसी भी प्रयास को, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा परीक्षा/चयन हेतु उपस्थित होने के लिये निरर्हित माना जा सकेगा।

(2) कोई भी पुरूष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी, जिसने ऐसे पुरूष से विवाह किया हो, जिसकी पहले ही एक पत्नी जीवित हो, किसी सेवा या पद में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा/होगी:

परन्तु यदि शासन का यह समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो शासन, ऐसे अभ्यर्थियों को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

(3) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जैसा कि विहित किया जाये, मानसिक या शारीरिक रूप से स्वस्थ, तथा किसी मानसिक या शारीरिक दोष जो किसी सेवा या पद के कर्तव्य को पूरा करने में बाधा डाल सकता हो से मुक्त, घोषित न कर दिया जाये:

परन्तु आपवादिक मामलों में, अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अधीन अस्थायी नियुक्ति दी जा सकेगी कि यदि वह चिकित्सीय रूप से अस्वस्थ पाया जाता है, तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

(4) कोई भी अभ्यर्थी, किसी सेवा या पद के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि नियुक्ति प्राधिकारी का, ऐसी सम्यक् जांच, जैसी कि आवश्यक समझे, के पश्चात, यह समाधान हो जाये कि वह (अभ्यर्थी) ऐसी सेवा या पद के लिए उपयुक्त नहीं है।

(5) कोई भी अभ्यर्थी, जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्धदोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले लंबित हों, तो उसकी नियुक्ति का मामला तब तक लंबित रखा जायेगा, जब तक कि उस आपराधिक मामले को न्यायालय द्वारा अंतिम रूप से अवधारित न कर दिया जाये।

(6) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद के लिए पात्र नहीं होगा।

(7) कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी दो से अधिक जीवित संतान हैं, जिनमें से एक का जन्म 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई भी अभ्यर्थी, जिसकी पहले से एक जीवित संतान है तथा आगामी प्रसव 26 जनवरी, 2001 को या उसके पश्चात् हो, जिसमें दो या दो से अधिक संतान का जन्म होता है, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए निरर्हित नहीं होगा।

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के बारे में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा.–** (1) परीक्षा/चयन हेतु अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के संबंध में, नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी अभ्यर्थी को, जिसे नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रवेश

प्रमाणपत्र जारी नहीं किया गया है, परीक्षा/साक्षात्कार में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) चयन प्रक्रिया के किसी समय पर अथवा शासन को चयन सूची भेजने के पश्चात् भी, यदि नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में यह तथ्य आता है कि अभ्यर्थी ने असत्य जानकारी दी है अथवा उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों में कोई विसंगति पायी गई है, तो वह निरर्हित हो जायेगा एवं उसका चयन/नियुक्ति, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा समाप्त कर दी जायेगी।

11. **प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्ती.**— (1) प्रतियोगी परीक्षा/चयन/साक्षात्कार द्वारा सीधी भर्तीः— (एक) नियुक्ति प्राधिकारी, एक चयन समिति गठित करेगा, जिसमें अनुसूची—तीन के कॉलम (6) में उल्लिखित अनुसार तीन सदस्य सम्मिलित होंगे।

(दो) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों पर आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी, शासन के परामर्श से, समय—समय पर अवधारित करे।

(तीन) परीक्षा, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा द्वारा समय—समय पर जारी आदेशों के अनुसार चयन समिति द्वारा आयोजित की जायेगी।

(2) सेवा में भर्ती के समय, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) के उपबंध तथा इस अधिनियम के अधीन शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय—समय पर जारी निर्देश लागू होंगे।

(3) इस प्रकार आरक्षित रिक्तियों को भरते समय, ऐसे अभ्यर्थी, जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के सदस्य हैं, की नियुक्ति के लिए उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये हों, चाहे अन्य अभ्यर्थियों की तुलना में उनका सापेक्षिक रैंक कुछ भी क्यों न हो।

(4) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर—क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों, जिन्हें उनकी प्रशासनिक दक्षता को ध्यान में रखते हुए नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के लिये पात्र घोषित किया गया हो, उप—नियम (3) के अनुसार यथास्थिति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य

पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रिक्तियों पर नियुक्त किया जा सकेगा।

(5) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार, 30% पद महिला अभ्यर्थियों के लिये आरक्षित रखे जायेंगे। यह आरक्षण, समस्तर एवं प्रभागवार होगा।

(6) ऐसे मामलों में, जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिये कुछ कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और नियुक्ति प्राधिकारी की राय में यह पाया जाये कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) से संबंधित अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, तो नियुक्ति प्राधिकारी, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थियों के संबंध में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा।

(7) उपरोक्त के अतिरिक्त, निःशक्त व्यक्तियों तथा भूतपूर्व सैनिकों के लिये, शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार पदों को आरक्षित रखा जायेगा।

12. **समिति द्वारा अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची.–** (1) समिति, उन अभ्यर्थियों की योग्यता क्रम में व्यवस्थित एक सूची, जो ऐसे स्तर से अर्हित हों जैसा कि चयन समिति द्वारा अवधारित किया जाये तथा अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों (गैर–क्रीमीलेयर) से संबंधित उन अभ्यर्थियों की एक सूची, जो उस स्तर से अर्हित नहीं है, किन्तु प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का सम्यक् ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये समिति द्वारा उपयुक्त घोषित किये गये हों, तथा महिला, निःशक्त व्यक्ति/भूतपूर्व सैनिक से संबंधित प्रत्येक प्रवर्ग के अभ्यर्थियों की एक सूची, जो आरक्षण के फलरूवरूप ऐसे स्तर से अर्हित हों, मेरिट क्रम में तैयार करेगी तथा नियुक्ति प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी तथा उक्त सूची की वैधता, नियुक्ति प्राधिकारी को नियुक्ति हेतु सूची के भेजे जाने की तारीख से एक वर्ष की होगी।

(2) उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक प्रवर्ग के लिये, चयन समिति, एक प्रतीक्षा सूची भी तैयार करेगी, जिसमें न्यूनतम एक नाम तथा रिक्त पदों के अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे। सूची की वैधता, चयन सूची के जारी किये जाने की तारीख से डेढ़ वर्ष होगी।

(3) उप–नियम (1) के अधीन इस प्रकार तैयार की गई सूची, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये भी प्रकाशित की जायेगी।

(4) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, उपलब्ध रिक्तियों पर नियुक्ति के लिये अभ्यर्थियों पर उसी क्रम में विचार किया जायेगा, जिस क्रम में उनके नाम सूची में आये हों।

(5) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किये जाने से ही उसे नियुक्ति के लिये कोई अधिकार तब तक प्राप्त नहीं होता, जब तक कि नियुक्ति प्राधिकारी का ऐसी जाँच करने के पश्चात्, जैसी कि वह आवश्यक समझे, यह समाधान न हो जाये कि अभ्यर्थी सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है।

(6) कोई अभ्यर्थी, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, के वैधता अवधि में कार्यभार ग्रहण न करने या त्यागपत्र देने या किन्हीं अन्य कारणों से योग्य न पाये जाने पर या वैधता अवधि के दौरान चयनित अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रतीक्षा सूची से अभ्यर्थियों के नाम, नियुक्ति हेतु अनुशंसित किये जा सकेंगे।

13. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति.**– (1) पात्र अभ्यर्थियों की पदोन्नति हेतु प्रारंभिक चयन करने के लिए, एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें अनुसूची–चार में उल्लिखित सदस्य सम्मिलित होंगे:

परन्तु इस उप–नियम के अधीन, समिति के गठन के लिए, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) की धारा 8 के उपबंध भी लागू होंगे।

(2) समिति की बैठक ऐसे अन्तरालों में होगी, जो साधारणतः एक वर्ष से अधिक की न हो।

(3) पदोन्नति छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार की जायेगी।

(4) आरक्षित रिक्तियों में पदोन्नति करने हेतु प्रक्रिया, उप–नियम (3) तथा शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा, समय–समय पर जारी निर्देशों के अनुसार होगी।

(5) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा प्रमाणन– नियुक्ति प्राधिकारी, अपने द्वारा जारी किए जाने वाले पदोन्नति आदेश पर, इस आशय के प्रमाणपत्र का पृष्ठांकन करेगा कि उसने छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम, 1994 (क्र. 21 सन् 1994) तथा

छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के उपबंधों तथा उक्त अधिनियम के उपबंधों के प्रकाश में जारी निर्देशों तथा राज्य शासन द्वारा बनाये गये नियमों का पालन कर लिया है तथा उसने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप–धारा (1) के उपबंधों का पूर्ण संज्ञान लिया है।

14. **पदोन्नति के लिये पात्रता की शर्तें.**– (1) उप–नियम (2) के प्रावधानों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन समस्त व्यक्तियों के मामलों पर विचार करेगी, जिन्होंने उस वर्ष की जनवरी के प्रथम दिन को, उन पदों में, जिनसे पदोन्नति की जानी है अथवा शासन द्वारा उसके समतुल्य घोषित किन्हीं अन्य पद या पदों पर (चाहे मूल रूप में या स्थानापन्न रूप में), उतने वर्षों की सेवा, जैसा कि अनुसूची–चार के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट है, पूर्ण कर ली हो तथा जो उप–नियम (2) के उपबंधों के अनुसार विचारण क्षेत्र में आते हों।

स्पष्टीकरण– पदोन्नति के लिए पात्रता हेतु संगणना की रीति– संबंधित वर्ष, जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है, की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की कालावधि की गणना, उस कैलेण्डर वर्ष से की जाएगी, जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया हो और संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आने की तारीख से नहीं।

(2) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के नियम 4 के अनुसार पदोन्नति की जायेगी।

(3) (एक) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति वरिष्ठता सह उपयुक्तता (सीनियारिटी कम फिटनेस) के आधार पर अथवा अनुपयुक्त अभ्यर्थी को छोड़कर वरिष्ठता के आधार पर की जानी हो, वहाँ सभी वर्गों के लिये विचारण हेतु कोई आधार नहीं होगा। केवल लोक सेवकों की ऐसी संख्या के प्रस्तावों पर वरिष्ठता के अनुसार विचार किया जायेगा, जो कि प्रत्येक प्रवर्ग में विद्यमान पदों तथा 1 वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति/पदोन्नति के कारण प्रत्याशित रिक्त पदों की संख्या को भरने के लिए पर्याप्त होगी।

(दो) ऐसे मामलों में, जहां पदोन्नति योग्यता सह वरिष्ठता (मेरिट कम सीनियारिटी) के आधार पर की जानी हो, वहां विचारण का क्षेत्र कुल रिक्त पदों के दो गुने से चार अधिक होगा। यदि अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के

शासकीय सेवकों की पर्याप्त संख्या, पदोन्नति के लिए उपलब्ध न हो, तो विचारण के क्षेत्र में कुल रिक्त पदों की संख्या के 7 गुने तक वृद्धि की जा सकेगी तथा आरक्षित पदों की पूर्ति, उपरोक्त उल्लिखित विचारण क्षेत्र में आये आरक्षित संवर्ग के व्यक्तियों से की जा सकेगी। समिति, उक्त विचारण के क्षेत्र से प्रत्येक प्रवर्ग के अधीन विद्यमान तथा एक वर्ष के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिए विचार करेगी।

(4) उप–नियम (2) के अधीन प्रत्याशित रिक्तियों के अतिरिक्त उपरोक्त अवधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, दो लोक सेवकों के या चयन सूची में सम्मिलित लोक सेवकों की संख्या के 25% तक, जो भी अधिक हो, उनके नाम सम्मिलित करने के प्रयोजन से प्रत्येक प्रवर्ग के लिए अपेक्षित संख्या में लोक सेवकों के नाम पर विचार किया जायेगा।

(5) पदोन्नति, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों के अनुसार तथा मॉडल रोस्टर के अनुसार की जायेगी।

15. **उपयुक्त अभ्यर्थियों की सूची का तैयार किया जाना.**— (1) समिति, ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी, जो उपर्युक्त नियम 14 में विहित शर्तो को पूरी करते हों तथा जिन्हें समिति द्वारा सेवा में पदोन्नति के लिये उपयुक्त समझा गया हो। यह सूची, सूची के तैयार किये जाने की तारीख से एक वर्ष की कालावधि के दौरान सेवानिवृत्ति तथा पदोन्नति के कारण होने वाली प्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये पर्याप्त होगी। इसके अतिरिक्त, उक्त कालावधि के दौरान होने वाली अप्रत्याशित रिक्तियों को भरने के लिये, एक आरक्षित सूची तैयार की जायेगी, जिसमें प्रत्येक प्रवर्ग से एक एवं अधिकतम 25% तक नाम सम्मिलित होंगे।

(2) उपयुक्त कर्मचारियों की सूची, छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार तैयार की जायेगी।

(3) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के अनुसार चयन सूची तैयार किये जाने के समय, सूची में सम्मिलित कर्मचारियों के नाम, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में यथा विनिर्दिष्ट सेवा या पद में वरिष्ठता के क्रम में रखे जायेंगे।

स्पष्टीकरण— ऐसा व्यक्ति, जिसका नाम चयन सूची में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसे सूची की विधिमान्यता के दौरान पदोन्नत नहीं किया गया हो, केवल उसके

पूर्वोत्तर चयन के तथ्य से ही उन व्यक्तियों के ऊपर जिन पर पश्चात्वर्ती चयन में विचार किया गया है, वरिष्ठता का कोई दावा नहीं होगा।

(4) इस प्रकार तैयार की गई सूची, प्रति वर्ष पुनर्विलोकित एवं पुनरीक्षित की जायेगी।

(5) सेवा के प्रत्येक संवर्ग के लिये पृथक सूची तैयार की जायेगी।

(6) यदि चयन, पुनर्विलोकन अथवा पुनरीक्षण की प्रक्रिया में, यह प्रस्तावित किया जाये कि सेवा के किसी सदस्य का अधिक्रमण किया जाना है, तो समिति, यथास्थिति, प्रस्तावित अधिक्रमण के लिये अपने कारण अभिलिखित करेगी।

16. **चयन सूची.**– (1) नियुक्ति प्राधिकारी, शासन से प्राप्त हुए अन्य दस्तावेजों के साथ–साथ उसके द्वारा तैयार की गई सूची पर विचार करेगा, यदि उसे यह प्रतीत होता है कि इसमें कोई परिवर्तन करना आवश्यक नहीं है, तो वह सूची को अनुमोदित करेगा।

(2) यदि नियुक्ति प्राधिकारी को यह प्रतीत होता है कि समिति से प्राप्त सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक है, तो वह ऐसे आवश्यक उपांतरणों (परिवर्तनों) सहित, यदि कोई हो, जो उसे न्यायसंगत एवं युक्तियुक्त प्रतीत हो, सूची को अनुमोदित करेगा।

(3) नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची, अनुसूची–चार के कॉलम (2) में उल्लिखित पदों से उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में यथा उल्लिखित पदों पर, सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिए अनुमोदित चयन सूची होगी।

(4) चयन सूची सामान्यतः तब तक विधिमान्य रहेगी जब तक यह नियम 15 के उप–नियम (4) के अनुसार पुनरीक्षित या पुनर्विलोकित नहीं कर दी जाती, किन्तु इसकी विधिमान्यता इसके तैयार किये जाने की तारीख से 18 माह की कालावधि के बाद किसी भी दशा में, नहीं बढ़ायी जायेगी:

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्तव्य के निर्वहन में गंभीर चूक होने की स्थिति में, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुरोध पर, चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और यदि समिति उचित समझे, तो चयन सूची से ऐसे व्यक्ति का नाम हटा सकेगी।

17. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति.**– (1) चयन सूची में सम्मिलित कर्मचारियों की सेवा संवर्ग के पदों पर नियुक्ति में, उसी क्रम का अनुपालन किया जायेगा, जिस क्रम में ऐसे कर्मचारियों के नाम चयन सूची में आये हों।

(2) साधारणतः उस व्यक्ति की, जिसका नाम चयन सूची में सम्मिलित हो, सेवा में नियुक्ति के पूर्व समिति से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा, जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की कालावधि के दौरान उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट न आ जाये, जो नियुक्ति प्राधिकारी की राय में, सेवा में नियुक्ति के लिये उसे अनुपयुक्त सिद्ध करती हो।

18. **परिवीक्षा**.— (1) (क) सेवा में सीधी भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

(ख) यदि कार्य असंतोषजनक पाया जाता है, तो परिवीक्षा की कालावधि में नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिकतम 1 वर्ष तक की कालावधि के लिये वृद्धि की जा सकेगी।

(ग) परिवीक्षा की कालावधि या बढ़ायी गई कालावधि के दौरान या परिवीक्षा की कालावधि के अंत में, यदि नियुक्ति प्राधिकारी की राय हो कि किसी विशेष अभ्यर्थी के उपयुक्त कर्मचारी बनने की संभावना नहीं है, तो ऐसे परिवीक्षाधीन की सेवायें समाप्त की जा सकेंगी।

(2) सेवा में पदोन्नति द्वारा भर्ती किया गया प्रत्येक व्यक्ति, 2 वर्ष की कालावधि के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा।

19. **निर्वचन**.— यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उद्भूत हो, तो उसे राज्य शासन को निर्दिष्ट किया जाएगा, जिस पर उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

20. **शिथिलीकरण**.— इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा, कि वह किसी ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की राज्यपाल की शक्ति को, जो उसे न्यायसंगत एवं उचित प्रतीत हो, सीमित या कम करती है:

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो।

21. **निरसन एवं व्यावृत्ति**.— (1) इन नियमों के तत्स्थानी और इन नियमों के प्रारंभ होने के ठीक पूर्व प्रवृत्त समस्त नियम, इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं:

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई भी कार्रवाई, इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन किया गया आदेश या की गई कार्रवाई समझी जायेगी।

(2) इन नियमों में दी गई कोई भी बात, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये शासन द्वारा समय–समय पर इस संबंध में जारी किये गये आदेशों के अनुसार उपबंधित अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एल. गुप्ता, उप-सचिव.

अनुसूची—एक
(नियम 5 देखिये)

स.क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदो की संख्या		वर्गीकरण	वेतनमान	नियुक्ति प्राधिकारी	टिप्पणियाँ
		सिविल	वि./यां.				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक)							
1.	उप अभियंता	1303	173	तृतीय श्रेणी	रू. 9300—34800/— + ग्रे.वे. 4200/—	प्रमुख अभियंता	
2.	भू—भौतिकी सहायक	7	—	—तदैव—	रू. 9300—34800/— + ग्रे.वे. 4200/—	प्रमुख अभियंता	
3.	भू—रसायन सहायक	4	—	—तदैव—	रू. 9300—34800/— + ग्रे.वे. 4200/—	प्रमुख अभियंता	
4.	भू—जल सहायक भू—भौमिकी सहायक भू—गर्भ सहायक	19	—	—तदैव—	रू. 5200—20200/— + ग्रे.वे. 2800/—	प्रमुख अभियंता	
तृतीय श्रेणी तकनीकी (अकार्यपालिक)							
1.	मुख्य मानचित्रकार (मुख्य अभियंता कार्यालय)	1	—	—तदैव—	रू. 9300—34800/— + ग्रे.वे. 4200/— + विशेष वेतन	प्रमुख अभियंता	
2.	मुख्य मानचित्रकार (मुख्य अभियंता कार्यालय)	4	—	—तदैव—	रू. 9300—34800/— + ग्रे.वे. 4200/— + विशेष वेतन	प्रमुख अभियंता	
3.	मानचित्रकार	79	10	—तदैव—	रू. 9300—34800/— + ग्रे.वे. 4200/— + विशेष वेतन	प्रमुख अभियंता	
4.	सहायक मानचित्रकार	88	11	—तदैव—	रू. 5200—20200/— + ग्रे.वे. 2400/—	प्रमुख अभियंता	
5.	अनुरेखक	134	10	—तदैव—	रू. 5200—20200/— + ग्रे.वे. 1900/—	प्रमुख अभियंता	
6.	अनुसंधान सहायक	25	—	—तदैव—	रू. 9300—34800/— + ग्रे.वे. 4200/—	प्रमुख अभियंता	
7.	बांध निरीक्षक	16	—	—तदैव—	रू. 9300—34800/— + ग्रे.वे. 4200/—	प्रमुख अभियंता	
8.	प्रयोगशाला तकनीशियन	25	—	—तदैव—	रू. 5200—20200/— + ग्रे.वे. 2400/—	प्रमुख अभियंता	
9.	प्रयोगशाला सहायक	10	—	—तदैव—	रू. 5200—20200/— + ग्रे.वे. 1900/—	प्रमुख अभियंता	
तृतीय श्रेणी अभियाना (कार्यपालिक)							
1.	सिंचाई निरीक्षक	39	—	—तदैव—	रू. 9300—34800/— + ग्रे.वे. 4200/—	प्रमुख अभियंता	
2.	अमीन	735	—	—तदैव—	रू. 5200—20200/— + ग्रे.वे. 2200/—	प्रमुख अभियंता	

अनुसूची दो
(नियम 6 देखिये)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदो की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदो की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणियाँ
			सीधी भर्ती द्वारा (नियम 6 (1) (क) देखिये)	पदोन्नति द्वारा (नियम 6 (1) (ख) देखिये)	स्थानांतरण/ प्रतिनियुक्ति द्वारा (नियम 6 (1) (ग) देखिये)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक)						
1.	उप अभियंता (सिविल)	1303	100%	—	—	
2.	उप अभियंता (वि./यां.)	173	100%	—	—	
3.	भू–भौतिकी सहायक	7	100%	—	—	
4.	भू–रसायन सहायक	4	100%	—	—	
5.	भू–भौमिकी सहायक भू–गर्भ सहायक भू–जल सहायक	19	100%	—	—	
तृतीय श्रेणी तकनीकी (अकार्यपालिक)						
1.	मुख्य मानचित्रकार (मुख्य अभियंता कार्यालय)	1	—	100%	—	
2.	मुख्य मानचित्रकार (मुख्य अभियंता कार्यालय)	4	—	100%	—	
3.	मानचित्रकार (सिविल)	79	—	100%	—	
4.	मानचित्रकार (वि./यां.)	10	—	100%	—	
5.	सहायक मानचित्रकार (सिविल)	88	50%	50%	—	
6.	सहायक मानचित्रकार (वि./यां.)	11	50%	50%	—	
7.	अनुरेखक (सिविल)	134	100%	—	—	
8.	अनुरेखक (वि./या.)	10	100%	—	—	
9.	अनुसंधान सहायक	25	100%	—	—	
10.	बांध निरीक्षक	16	75%	25%	—	कॉलम (5) के पद निम्नानुसार भरे जायेंगे:– 1. 50% प्रयोगशाला तकनीशियन से पदोन्नति द्वारा 2.. 50% प्रयोगशाला सहायक से पदोन्नति द्वारा
11.	प्रयोगशाला तकनीशियन	25	100%	—	—	
12.	प्रयोगशाला सहायक	10	100%	—	—	
तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अभियाना						
1.	सिंचाई निरीक्षक	39	—	100%	—	
2.	अमीन	735	100%	—	—	

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिये)

स. क्र.	सेवा का नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तृतीय श्रेणी तकनीकी (कार्यपालिक)					
1.	उप अभियंता (सिविल)	18 वर्ष	30 वर्ष	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनीयरिंग में डिग्री/तीन वर्षीय डिप्लोमा।	प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित (1) मुख्य अभियंता – **अध्यक्ष** (2) दो अधीक्षण अभियंता – **सदस्य** (3) एक सदस्य अनुसूचित जाति से, एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से तथा एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से – **सदस्य**
2.	उप अभियंता (वि./यां.)	–तदैव–	–तदैव–	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विद्युत/यांत्रिकी इंजीनियरिंग में डिग्री/तीन वर्षीय डिप्लोमा।	–तदैव–
3.	भू–भौतिकी सहायक	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान में या इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ अधिमान्य रूप से भौतिक शास्त्र में स्नातक।	–तदैव–
4.	भू–रसायन सहायक	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अकार्बनिक एनालिटिकल रसायन शास्त्र में स्नातक।	–तदैव–
5.	भू–भौतिकी सहायक	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान में स्नातक या भू–जल ऐच्छिक विषय के साथ अधिमान्य रूप से अनुप्रयुक्त भू–विज्ञान में स्नातक/एम.टेक।	–तदैव–
6.	भू–गर्भ सहायक	–तदैव–	–तदैव–	किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान में स्नातक या भू–जल ऐच्छिक विषय के साथ अधिमान्य रूप से अनुप्रयुक्त भू–विज्ञान में स्नातक/एम.टेक।	–तदैव–
7.	भू–जल सहायक	–तदैव–	–तदैव–	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भू–विज्ञान में स्नातक या भू–जल ऐच्छिक विषय के साथ अधिमान्य रूा से अनुप्रयुक्त भू–विज्ञान में स्नातक/एम. टेक।	–तदैव–

तृतीय श्रेणी तकनीकी (अकार्यपालिक)					
1.	सहायक मानचित्रकार	--तदैव--	--तदैव--	(1) वास्तुकला में डिप्लोमा या (2) सिविल/ विद्युत / यांत्रिकी इंजीनियरिंग में मानचित्रकारिता या आईटीआई से सर्वेक्षक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र, या (3) व्यावसायिक प्रशिक्षण की औद्योगिक परिषद् से शिक्षुता प्रमाणपत्र, या (4) राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त किसी अन्य पाठ्यक्रम का प्रमाणपत्र या डिप्लोमा।	
2.	अनुरेखक	--तदैव--	--तदैव--	(1) एक विषय के रूप में रेखा चित्र (ड्राईंग) के साथ हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा उत्तीर्ण, या (2) राज्य शासन द्वारा इस निमित्त मान्यता प्राप्त माध्यमिक शिक्षा मण्डल से हायर सेकेण्डरी (तक.) प्रमाणपत्र परीक्षा।	
3.	अनुसंधान सहायक	--तदैव--	--तदैव--	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से प्रथम श्रेणी से गणित, भौतिकी, रसायन में बी.एससी. या भौतिकी में एम.एससी. डिग्री या उपरोक्त विषयों में समकक्ष।	
4.	बांध निरीक्षक	--तदैव--	--तदैव--	राज्य शासन द्वारा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में तीन वर्षीय डिप्लोमा या गणित, भौतिकी तथा रसायन में बी.एससी.।	
5.	प्रयोगशाला तकनीशियन	--तदैव--	--तदैव--	राज्य शासन के किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी तथा रसायन में बी.एससी. भाग--एक उत्तीर्ण।	
6.	प्रयोगशाला सहायक	--तदैव--	--तदैव--	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उतीर्ण या विज्ञान के साथ हायर सेकेण्डरी प्रमाणपत्र परीक्षा उतीर्ण।	
तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अभियाना					
1.	अमीन	--तदैव--	--तदैव--	(1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से (10+2) परीक्षा उतीर्ण, (2) चयन के पश्चात्, छः माह के प्रशिक्षण में प्राप्त अंकों के आधार पर अभ्यर्थियों को अधिमान्यता दी जायेगी।	

टीपः-- ऐसे अभ्यर्थियों जो छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी हैं के लिये उच्चतर आयु सीमा, शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय--समय पर जारी निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी।

अनुसूची–चार

(नियम 13 देखिए)

स. क्र.	सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है	पात्रता हेतु न्यूनतम अनुभव की अवधि	सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम	टिप्पणियाँ
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तृतीय श्रेणी तकनीकी (अकार्यपालिक)					
1.	मानचित्रकार (सिविल)	8 वर्ष	मुख्य मानचित्रकार	प्रमुख अभियंता द्वारा नामांकित – (1) मुख्य अभियंता – **अध्यक्ष** (2) दो अधीक्षण अभियंता– **सदस्य** (3) एक सदस्य अनुसूचित जाति से, एक सदस्य अनुसूचित जनजाति से तथा एक सदस्य अन्य पिछड़ा वर्ग से – **सदस्य**	
2.	सहायक मानचित्रकार (सिविल)/ सहायक मानचित्रकार (वि./यां.)	5 वर्ष	मानचित्रकार (सिविल) मानचित्रकार (वि./यां.)	–तदैव–	(1) ऐसे सहायक मानचित्रकार, जो सहायक मानचित्रकार के पद हेतु विहित अर्हता धारण करते हों,. के लिए 5 वर्ष, (2) ऐसे सहायक मानचित्रकार, जो ऊपर (1) के अंतर्गत नहीं आते हों, के लिए 10 वर्ष
3.	अनुरेखक (सिविल)/ अनुरेखक (वि./यां.)	7 वर्ष/ 12 वर्ष	सहायक मानचित्रकार (सिविल)/ सहायक मानचित्रकार (वि./या.)	–तदैव–	
4.	प्रयोगशाला तकनीशियन	8 वर्ष	बांध निरीक्षक	–तदैव–	
5.	प्रयोगशाला सहायक	12 वर्ष	बांध निरीक्षक	–तदैव–	
तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) अभियाना					
1.	अमीन	15 वर्ष	सिंचाई निरीक्षक	–तदैव–	